।। ग्रामीण भारत ।। कौशाम्बी

खण्ड-1 अंक-3 रोजगार गारंटी विशेषांक फरवरी, 2006 कुल 4 पृष्ठ

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण- कौशाम्बी (उ0प्र0) द्वारा प्रकाशित मासिक समाचार पत्र

सम्पादकीय

सरकार द्वारा रोजगार की गारंटी दिया जाना कोई नई बात नहीं है। आजादी के बाद से सरकारें लगातार ग्रामीणों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए योजनाएं बनाती रही हैं और उन्हें लागू करने के उपरान्त योजनाओं द्वारा वांछित उपलब्धि न प्राप्त करने के पीछे योजनाओं की कमियों की समीक्षा और फिर एक नयी योजना का जन्म, यह एक निरंतर प्रक्रिया है। गांव के लोगों को एक समूह में संगठित कर व्यवसाय करते हुए अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के उद्देश्य से स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजना का शुरूआत की गयी, जिसके दूरगामी परिणाम सामने आ रहे हैं। बिना छत के जीवन जीने वालों को छत मुहैया कराने के उद्देश्य से इन्दिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय (आवास) योजना जैसी योजनाएं मील का पत्थर सावित हो रही हैं। ग्रामीणों के जीवन स्तर को सुधारने की गरज से अन्य अनेक कल्याणकारी योजनाएं यथा स्वजलधारा कार्यक्रम, सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम, ग्रामीण पेयजल योजना आदि योजनाएं संचालित की जा रही हैं और इन योजनाओं के परिणाम भी अच्छे आ रहे है। आजादी के बाद से विकास को गति देने के लिए चलाये जा रहे कार्यक्रमों की सफलता में उनकी भागीदारी अहम होती है, जिनके लिए योजना वनायी जाती है।

इसी कडी मे भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा "राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट -2005" के माध्यम से 2 फरवरी, 2006 को पूरे देश के 200 जनपदों में एक साथ "राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम" का शुभारम्भ किया गया। योजना की विस्तृत जानकारी के लिए विकास खण्ड स्तर पर "कार्य क्रम अधिकारी" एवं जनपद स्तर पर "जिला कार्यक्रम समन्वयक" से सम्पर्क किया जा सकता है।

योजना का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कम से कम 100 दिन का रोजगार मुहैया कराना है। इस योजना से जहां एक ओर ग्रामीण परिवारों को उनके घर के पास रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा वहीं दूसरी ओर अवस्थापना सुविधाओं का भी विकास होगा।

-सम्पादक

विकास में जन सहभागिता

देश के समग्र विकास के लिए आवश्यक है कि देश के गांव विकसित हों। गांवों के समग्र विकास के लिए कृत संकल्प भारत सरकार एवं राज्य सरकार का ग्राम विकास मंत्रालय। केन्द्र पुरोनिधानित विकास योजनाओं में जहां एक ओर भारत सरकार द्वारा 75 फीसदी की धनराशि मुहैया करायी जाती है वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार द्वारा 25 फीसदी की भागेदरी सुनिश्चित करते हुए योजनाओं के सफल संचालन में योगदान किया जाता है।

आज आवश्कता है समाज के प्रत्येक नागरिक की इस विकास यात्रा में निष्कपट सहयोग की। स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के माध्यम से ग्रामीणों को सीधे विकास की मुख्य धारा में ले जाने के उद्देश्य से उनके द्वारा गठित स्वयं सहायता समूह को चयनित गतिविधि में तकनीकी रूप से पारंगत करने व उन्हें आर्थिक सहयोग प्रदान कर उद्योग स्थापित करने में शासन व प्रशासन कृत संकल्प है। आवश्यकता है समान विचार धारा के लोगों को एकजुट होकर समूह बनाने की। समूहों को संचालित करने हेतु मार्ग निर्देशन करने के लिए विकास खण्ड स्तर पर इकाई के रूप में तमाम इकाइयां कार्यरत है जो समय - समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों/ सेमिनारों आदि का आयोजन कर ग्रामीणों में एकजुट होकर कार्य करने की प्रवृत्ति जागृत करने में उपयोगी सिद्ध हो रही है।

किसी ने कहा है "भगवान उसी की मदद करता है, जो अपनी मदद स्वयं करता है"। विकास की अनेकों अनेक योजनाएं/ कार्यक्रम संचालित हो रहें। आवश्यकता है उनमें से एक अपनी आवश्यकतानुसार चयन करने की। राजनैतिक आजादी की लडाई के लिए महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पं नेहरू, आजाद जैसे सूरमाओं ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर आपको राजनैतिक आजादी दिलायी। आपको आर्थिक आजादी दिलाने के लिए आपके कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार भारत सरकार/राज्य सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय। शासन द्वारा चलाये जा रहे विकास कार्यो में ग्रामीणों की भागीदारी एवं योजनाओं को अपनाने से भारत को आर्थिक आजादी प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता।

-समाचार सम्पादक

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

गांवों की समृद्धि की ओर एक और कदम - राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम

त्वरित ग्रामीण योजनाओं की शुरूआत चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गयी थी। ग्रामीणों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का केन्द्र सरकार का यह पहला बडा अवसर था। किन्तु तत्समय संसाधनों की कमी एवं प्रवन्धन की गडबडियों के चलते यह योजना तीन वर्षो के बाद बन्द करनी पडी। इसी कडी में सन 1977 में "काम के बदले अनाज योजना"एवं 1980 में इस योजना को सम्मिलित करते हुए "राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना" लागू की गयी। 1983 में "ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्य क्रम", जिसमें भूमिहीन परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में सौ दिन का रोजगार सुनिश्चित कराने का लक्ष्य रखा गया था, लागू किया गया।

ग्रामीणों के जीवन स्तर को सुधारने की योजनाओं में एक और कडी के रूप में 1990 में "जवाहर रोजगार योजना" की शुरूआत की गयी जिसमें पूर्व से संचालित "ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम" को समायोजित कर दिया गया। यह योजना 1999 तक चलने के उपरान्त 2000 में "सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना" में समायोजित हो गयी।

इन तमाम योजनाओं के क्रियान्वयन एवं परिणामों की समीक्षा तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कराये गये अध्ययन के उपरान्त यह तथ्य प्रकाश में आया कि इन योजनाओं के अंजाम से इतर "राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून" लोगों को रोजी-रोटी का अधिकार दिला सकने में सक्षम होगा, और इसी के मद्देनजर भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के सौजन्य से मा० प्रधानमंत्री जी द्वारा 2 फरवरी, 2006 को एक्ट के अन्तर्गत "राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम" का शुभारम्भ किया गया।

योजना के क्रियान्वयन के लिए योजना की जानकारी होना आवश्यक है। अब तमाम प्रश्न उठते हैं "एक्ट क्या है ?, इसके उद्देश्य क्या हैं ?, योजना में कार्य करने वाले परिवारों की पात्रता क्या होगी ?, परिवारों के चयन की क्या प्रक्रिया है ?, जाव कार्ड की क्या व्यवस्था है ? आदि।

एक्ट क्या है ?

भारत सरकार द्वारा ग्रामीण गरीब परिवारों को रोजगार के अवसर सुलभ कराते हुए उनकी आय में वृद्धि के उद्देश्य से एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों का रोजगार निश्चित रूप से उपलब्ध कराने के लिए "राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट -2005" लागू किया गया। इसका क्रियान्वयन वर्तमान में प्रदेश के 22 जनपदों में एक साथ 2 फरवरी, 2006 से किया गया। केन्द्र सरकार द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये गये है कि राज्य सरकारों द्वारा इसी एक्ट के अन्तर्गत पृथक से "रोजगार गारंटी योजना" प्रारम्भ की जायेगी। जब तक राज्य सरकार द्वारा नई योजना प्रारम्भ नहीं की जाती है तब तक पूर्व में चल रही योजनाओं में "सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना" तथा "राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम" का कार्यान्वयन "एक्ट-2005" के प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा।

एक्ट के उद्देश्य क्या हैं ?

एक्ट का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम पर आधारित कार्य करने के इच्छुक परिवारों में से प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराना है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के साथ साथ अवस्थापना सुविधाओं का विकास/परिसम्पत्तियों का सृजन करना है।

काम करने वालों परिवारों की पात्रता क्या हैं ?

योजनान्तर्गत कार्य करने वाले श्रमिकों की श्रेणी में बी०पी०एल०/ए०पी०एल० का कोई वन्धन नहीं है। परिवार का प्रत्येक सदस्य जो श्रम पर आधारित कार्य करने का इच्छुक है, इस एक्ट के अन्तर्गत मजदूरी पा सकता है। देय रोजगार दिवसों की गणना की इकाई परिवार है, न कि व्यक्ति।

परिवारों के चयन की प्रक्रिया क्या हैं ?

योजनान्तर्गत पात्र परिवारों के चयन हेतु निम्न प्रक्रिया निर्धारित की गयी है :-

- श्रम पर आधारित कार्य करने वाले इच्छुक परिवार के प्रत्येक वयस्क सदस्य द्वारा आवेदन पत्र सादे कागज अथवा निर्धारित प्रारूप पर अपने छायाचित्र सहित सम्बन्धित ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
- आवेदक द्वारा अपने परिवार के अन्य वयस्क सदस्यों का भी विवरण देना होगा, जो योजनान्तर्गत कार्य करने के इच्छुक हैं।
- ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण कराया जायेगा। यहां आवेदन पत्रों के परीक्षण से तात्पर्य आवेदन पत्र में दी गयी सूचनाओं का सत्यापन करने से है।
- जांचोपरान्त सही पाये गये आवेदन पत्रों का पंजीकरण ग्राम पंचायत स्तर पर किया जायेगा तथा परिवार को एक पंजीकरण कार्ड उपलब्ध करा दिया जायेगा।
- ग्राम पंचायत स्तर पर पंजीकरण पंजिका तैयार की जायेगी।
- पंजीकृत परिवारों की सूचना अग्रिम कार्यवाही हेतु विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी एवं जनपद स्तर पर जिला कार्यक्रम समन्वयक को, जो क्रमशः खण्ड विकास अधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी हैं, को उपलब्ध करा दी जायेगी।

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Ø पंजीकरण होने के उपरान्त एक सप्ताह के भीतर इन्ही पंजीकृत परिवारों के प्रत्येक वयस्क एवं श्रम आधारित कार्य करने के इच्छुक व्यक्ति के फोटोयुक्त "जांब-कार्ड" ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। यह जांब कार्ड पांच वर्षों के लिए विधिमान्य अभिलेख होगा, जिसमें किसी भी प्रकार का संशोधन अपरिहार्य परिस्थितियों में ग्राम सभा की खुली बैठक में अनुमोदन के उपरान्त ही सम्भव होगा।

बेरोजगारी भत्ता/मजदूरी का भुगतान :-

उपर्युक्त चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत चयनित एवं जाव कार्ड धारक व्यक्ति द्वारा काम के लिए मांग से सम्बन्धित प्रार्थ ना पत्र ग्राम पंचायत अथवा कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। जिसके बाद उसे 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा जिसके लिए उसे प्रतिदिन 58.00 रू0 की दर से श्रमांश का भुगतान किया जायेगा। रोजगार उपलब्ध न करा पाने की दशा में ऐसे व्यक्ति को निर्धारित दर से प्रतिदिन "बेरोजगारी भत्ता" देय होगा। मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक किया जायेगा। विषम परिस्थितियों में भी भुगतान 15 दिवस से अधिक नहीं होना चाहिए। मजदूरी का आंशिक भुगतान दैनिक रूप से भी किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को एक वित्तीय वर्ष में सौ दिनों से कम रोजगार उपलब्ध कराया जाता है तो शेष अवधि के लिए बेरोजगारी भत्ते का आंकलन निम्नानुसार किया जायेगा :-

- v वित्तीय वर्ष के प्रथम 30 दिनों के लिए बेरोजगारी भत्ते की दर कुल मजदूरी का एक चौथायी होगी।
- v वित्तीय वर्ष के शेष दिनों हेतु यह दर मजदूरी की दर की 50 प्रतिशत होगी।
- v बेरोजगारी भत्ते का भुगतान 15 दिनों के अन्दर किया जाना होगा।

कार्य की प्रकृति एवं उपलब्धता :-

योजनान्तर्गत रोजगार परक कार्यो को वरीयता दी जायेगी। जिनमें श्रमांश का प्रतिशत अधिकतम होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के लिए आवश्यक परिसम्पत्तियों का सृजन किया जायेगा जिसमें सम्पर्क मार्ग, तालाब खुदाई, जल संग्रण की परियोजनाएं, नाला-नाली निर्मा ण आदि जैसे कार्य कराये जायेंगे। कार्य गांव की 5.0 किमी की परिधि में कराये जा जाने को वरीयता दी जायेगी। नया कार्य तब प्रारम्भ किया जायेगा जबकि कम से कम 50 व्यक्तियों को उक्त कार्य के अन्तर्गत कार्य दिया जा सके। यदि श्रमिकों के लिए कार्य की उपलब्धता उसके निवास से 5.0 किमी की परिधि से वाहर दिया जाता है तो उसे मजदूरी के साथ-साथ मजदूरी की 10 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त भुगतान की जायेगी। कार्य में ठीकेदारी पर पूरी तरह से प्रतिबन्ध है। योजनान्तार्गत प्राथमिकता के आधार पर कराये जाने वाले कार्य निम्न प्रकार हैं :

- v जल संरक्षण एवं जल संग्रहण की परियोजनाए।
- v सूखे से निपटने की परियोजनाएं यथा वृक्षारोपण/वनीकरण।
- v लघु एवं वृहद सिंचाई सुविधाओं के विकास से सम्बन्धित परियोजनाएं।
- v अनुसूचित जाति/जनजाति एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले कृषकों (इन्दिरा आवास के पात्र लाभार्थियों) की कृषि योग्य भूमि में सिंचाई सुविधाओं के विकास की परियोजनाएं।
- v परम्परागत जल स्रोतों के पुनरूद्धार की परियोजनाएं।
- v भूमि विकास के कार्य।
- v बाढ नियंत्रण एवं जल निकासी की योजनाएं।
- v ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पर्क मार्गो का निर्माण (मार्ग निर्मा ण/पुलिया आदि के कार्य)।
- v राज्य सरकार की सलाह पर केन्द्र सरकार द्वारा चिन्हित अन्य क्रिया-कलाप।

कार्य के दौरान मजदूरों को उपलब्ध करायी जाने वाली अन्य मानवीय सुविधाएं :-

कार्य के समय मजदूरों को निम्नलिखित सुविधाएं मुहैया कराये जाने का उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा :-

- q शुद्ध पेयजल की व्यवस्था।
- q बच्चों के लिए शेड।
- q प्रत्येक कार्य की साइड पर आराम के अवसर व "फर्स्ट ऐड बाक्स"।

कार्य के दौरान दुर्घटना होने पर यदि किसी मजदूर के शरीर में चोटें आती हैं तो उसके इलाज की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। साथ ही चिकित्सा अवधि में मजदूर को दैनिक भत्ते की राशि का भुगता भी किया जायेगा जो मजदूरी के 50 प्रतिशत से कम नहीं होगा।

दुर्घटना के दौरान मजदूर की मृत्यु हाने अथवा स्थायी रूप से विकलांग होने की दशा में 25000.00 रू की अतिरिक्त धनराशि मृतक के वारिश अथवा विकलांग व्यक्ति, जो भी स्थिति हो, को केन्द्र सरकार के वजट से भुगतान की जायेगी। शर्त यह होगी कि भुगतभोगी योजनान्तर्गत पंजीकृत जाव कार्ड धारक मजदूर हो।

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

निर्माण कार्यो की एक झलक - (दायें से बायें) सांसद निधि अन्तर्गत निर्माणाधीन शान्ती कुशवाहा उ0मा0 विद्यालय गनपा, कडा में कक्ष निर्माण, रा0स0वि0यो0 अन्तर्गत निर्माणाधीन पभोषा रोड से बक्सी का पुरवा सम्पर्क मार्ग लेपन कार्य, विधायक निधि अन्तर्गत निर्मित सईगंज रोड से छितानी का पुरवा सी0सी0 सम्पर्क मार्ग ।

अभिकरण द्वारा अन्य योजनाओं में धनराशि अवमुक्त /व्यय की स्थिति

SN	Name of Scheme *(Data updated on)*	Financial Progress (Rs.in Lakhs)			
		Outlay	Total Funds Available	Expenditure	Balance
1	2	3	4	5	6
1	SGSY	364.99	341.19	332.97	8.22
2	SGRY	1439.99	1545.79	1375.75	170.04
3	IAY	376.81	331.905	291.32	40.585
4	PMGY (Rural Housing)	56.00	61.91	46.63	15.28
5	Vidhayak Nidhi	300.00	452.11	319.84	132.27
6	DRDA Administration	57.00	43.98	34.50	9.48

सम्पादक मण्डल

जिलाधकारी, कौशाम्बी : संरक्षक
मुख्य विकास अधिकारी, कौशाम्बी : प्रधान सम्पादक
परियोजना निदेशक, DRDA कौशाम्बी : सम्पादक
जिला विकास अधिकारी, कौशाम्बी : उप सम्पादक
सहायक अभियन्ता, DRDA कौशाम्बी : तकनीकी सम्पादक
लेखाकार, DRDA कौशाम्बी : पूफ रीडर तकनीकी विषेशज्ञ
कम्प्यूटर प्रोग्रामर, DRDA कौशाम्बी : समाचार सम्पादक

"ग्रामीण भारत" मासिक पत्रिका को बहुउपयोगी बनाने हेतु आपके सुझाव/टिप्पणी निम्न पते पर आमंत्रित है :-

"ग्रामीण भारत"
विकास भवन, (कम्प्यूटर कक्ष)
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, कौशाम्बी।
E-Mail : drda-kos@up.nic.in
Phone : 05331-232605

आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या G.O./152/स्था0-5/2004 दिनांक 05.01.2005 के परिपालन में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण-कौशाम्बी द्वारा प्रकाशित

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com